परिशिष्ट–तीन

प्रपत्र–2

नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) को देखें

कार्यालय–: मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढवाल

पत्रांक / सेवा–6 / मान्यता / स्थायी / 6191 / 2019–20 दिनांक– 18.09.2019

सेवा में,

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबन्धक
आईरिस पब्लिक स्कूल श्रीकोट गंगानाली
विकास खण्ड– खिर्सू
पौड़ी गढवाल।

विषय– नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 की धार 18 के प्रयोजनार्थ नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 17 में उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधिकारी प्रा0शि0 एवं उपशिक्षा अधिकारी से प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर आपके विद्यालय को कक्षा पूर्व प्राथमिक से कक्षा 8 तक दिनांक 31/3/2025 तक पांच वर्ष की स्थायी मान्यता (अंग्रजी माध्यम) की स्वीकृत प्रदान की जाती है।

प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अनुपालन के अधीन होगी–

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा–8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा–1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हे नि:शुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या–3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नही किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आय प्रमाण, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नही किया जाएगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे–
   (एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
   (दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नही किया जाएगा,
   (तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी।
   (चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा,
   (पांच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में नि:शक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेषन किया जाएगा।
   (छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगें और
   (सात) शिक्षक, निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि (टयूशन) में संलग्न नही होगें।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम अनुसरण करेंगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धार 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडो को बरकरार रखेगा।
    विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा–:
    - विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल,
    - कुल निर्मित क्षेत्र,

- कक्षा–कक्षों की कुल संख्या,
- प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष,
- बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय,
- पेयजल की सुविधा,
- मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर
- बाधारहित पहुंच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय उपलब्धता।

11. इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नही होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जायेगा।
13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 को 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के साथ संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।
15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या.....23.......है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाए।
17. राज्य सरकार/जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय–समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तो की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत निर्देशो का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाएगा।
19. परिशिष्ट–चार के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।
20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

18/9/2019

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
पौड़ी गढवाल।